प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा मे,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जालौन, गोण्डा, बरेली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, श्रावस्ती, बाराबंकी, फर्रूखाबाद, कन्नौज एवं इलाहाबाद।
उत्तर प्रदेश।

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0 / एन0सी0डी0 / NPCB / 01 / 2017–18 / 8667-10 दिनांक: 20-11-17

विषयः <u>एन0पी0सी0बी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत राजकीय क्षेत्र में मोतियाबिन्द ऑपरेशन में वित्तीय वर्ष 2016–17 की सृजित देनदारियों के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की स्वीकृत आर0ओ0पी0 2017–18 के एफ0एम0आर0 कोड सं0– I.4.1 पर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत रू0 631.86 लाख की धनराशि अनुमोदित की गई है।

2. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, अंधता द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 की स्वीकृत आर0ओ0पी0 में राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण एवं दृष्टिक्षीणता कार्यक्रम में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016–17 राजकीय क्षेत्र के मोतियाबिन्द ऑपरेशन में सृजित देनदारियों के परीक्षणों उपरान्त प्रदेश के 11 जनपदों को मद सं0–I.4.1 में रू0 4749413.00 की धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में निम्नवत् अवमुक्त की जा रही है–

क्र0सं0	जनपद	राजकीय क्षेत्र में मोतियाबिन्द ऑपरेशन मद सं0–I.4.1
1	जालौन	1335190.00
2	गोण्डा	111451.00
3	बरेली	356500.00
4	सहारनपुर	707227.00
5	मुजफ्फरनगर	550000.00
6	बागपत	59742.00
7	श्रावस्ती	274957.00
8	बाराबंकी	39000.00
9	फर्रूखाबाद	25590.00
10	कन्नौज	559763.00
11	इलाहाबाद	729993.00
कुल योग		4749413.00

3. वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 द्वारा जनपद स्तर पर वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपलब्ध अनकमिटेड अनस्पेण्ड अवशेष धनराशि को समायोजित करते हुये उपरोक्त जनपदवार तालिका में अंकित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति में अवमुक्त की गयी है एवं अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जाएगा जिन मदों के लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

4 धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यकम / मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यकम / मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।

5. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख, कैश बुक, बैंक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण करायें साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।

6. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें एवं उपरोक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2016–17 में राजकीय क्षेत्रों में मोतियाबिन्द ऑपरेशन में सृजित देनदारियों के लिये वित्तीय नियमों को दृष्टिगत रखते हुये व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

7. भारत सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा– निर्देशों के अनुपालन में राष्ट्रीय अंधता नियत्रंण कार्यकम में रिकरिंग मद में आवंटित धनराशि को अन्य रिकरिंग मद में जनपद द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से प्रस्ताव अनुमोदन प्राप्त कर जनपद में उपरोक्त संसाधनानुसार अनुपात कें परिवर्तन कर धनराशि वित्तीय नियमों के अनुरुप व्यय की जा सकती है।

8. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।

9. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।

10. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

11. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रकिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

12. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

13. कार्यक्रम के कियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निदेशक राष्ट्रीय कार्यक्रम, कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ के पत्र सं0 1207–13 दिनांक 05/05/2016 द्वारा जनपदों को निर्गत किया जा चुका है। कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुये प्रति माह मिशन निदेशक के अवलोनार्थ प्रेषित की जायेगी।

14. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0/एन0सी0डी0/NPCB/01/2017–18/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।

2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त, जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि अवमुक्त की जा रही धनराशि की वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुये मिशन निदेशक के अवलोनार्थ प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
6. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को ई-मेल के माध्यम से इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट- www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, नेत्र, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं जिला लेखा प्रबन्धक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

(डा0 ए0बी0 सिंह)
उपमहाप्रबन्धक, एन0सी0डी0

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा मे,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जालौन, गोण्डा, बरेली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, श्रावस्ती, बाराबंकी, फर्रूखाबाद, कन्नौज एवं इलाहाबाद।
उत्तर प्रदेश।

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0 / एन0सी0डी0 / NPCB / 01 / 2017–18 / दिनांक: 20-11-17

विषयः एन0पी0सी0बी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत राजकीय क्षेत्र में मोतियाबिन्द ऑपरेशन में वित्तीय वर्ष 2016–17 की सृजित देनदारियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की स्वीकृत आर0ओ0पी0 2017–18 के एफ0एम0आर0 कोड सं0– I.4.1 पर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत रू0 631.86 लाख की धनराशि अनुमोदित की गई है।

2. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, अंधता द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 की स्वीकृत आर0ओ0पी0 में राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण एवं दृष्टिक्षीणता कार्यक्रम में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016–17 राजकीय क्षेत्र के मोतियाबिन्द ऑपरेशन में सृजित देनदारियों के परीक्षणों उपरान्त प्रदेश के 11 जनपदों को मद सं0–I.4.1 में रू0 4749413.00 की धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में निम्नवत् अवमुक्त की जा रही है–

क्र0सं0	जनपद	राजकीय क्षेत्र में मोतियाबिन्द ऑपरेशन मद सं0–I.4.1
1	जालौन	1335190.00
2	गोण्डा	111451.00
3	बरेली	356500.00
4	सहारनपुर	707227.00
5	मुजफ्फरनगर	550000.00
6	बागपत	59742.00
7	श्रावस्ती	274957.00
8	बाराबंकी	39000.00
9	फर्रूखाबाद	25590.00
10	कन्नौज	559763.00
11	इलाहाबाद	729993.00
कुल योग		4749413.00

3. वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 द्वारा जनपद स्तर पर वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपलब्ध अनकमिटेड अनस्पेण्ड अवशेष धनराशि को समायोजित करते हुये उपरोक्त जनपदवार तालिका में अंकित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति में अवमुक्त की गयी है एवं अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जाएगा जिन मदों के लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

4 धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम / मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यक्रम / मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।

5. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख, कैश बुक, बैंक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण करायें साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।

6. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें एवं उपरोक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2016–17 में राजकीय क्षेत्रों में मोतियाबिन्द ऑपरेशन में सृजित देनदारियों के लिये वित्तीय नियमों को दृष्टिगत रखते हुये व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

7. भारत सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा– निर्देशों के अनुपालन में राष्ट्रीय अंधता नियत्रंण कार्यक्रम में रिकरिंग मद में आवंटित धनराशि को अन्य रिकरिंग मद में जनपद द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से प्रस्ताव अनुमोदन प्राप्त कर जनपद में उपरोक्त संसाधनानुसार अनुपात कें परिवर्तन कर धनराशि वित्तीय नियमों के अनुरुप व्यय की जा सकती है।

8. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।

9. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।

10. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉं, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

11. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रकिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

12. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

13. कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निदेशक राष्ट्रीय कार्यक्रम, कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ के पत्र सं0 1207–13 दिनांक 05/05/2016 द्वारा जनपदों को निर्गत किया जा चुका है। कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुये प्रति माह मिशन निदेशक के अवलोनार्थ प्रेषित की जायेगी।

14. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0/एन0सी0डी0/NPCB/01/2017–18/8667-109 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।

2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त, जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि अवमुक्त की जा रही धनराशि की वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुये मिशन निदेशक के अवलोनार्थ प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
6. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को ई–मेल के माध्यम से इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट– www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, नेत्र, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं जिला लेखा प्रबन्धक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

(डा0 ए0बी0 सिंह)
उपमहाप्रबन्धक, एन0सी0डी0